निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**15 वैशाख 1937 (शo)**

**(सं0 पटना 533) पटना, मंगलवार, 5 मई 2015**

बिहार विधान-सभा सचिवालय

---

अधिसूचना

21 अप्रील 2015

सं0 वि०स०वि०-08/2015- 2047/वि०स० ।—''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 21 अप्रील, 2015 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विघान-सभा के आदेश से,

हरेराम मुखिया,

प्रभारी सचिव ।

## बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015

[वि०स०वि०-07/2015]

बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**- (1) यह अधिनियम बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. **बिहार अधिनियम 16, 1983 की धारा-2 में संशोधन।**- बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (एतपश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्देशित) की धारा-2 की उपधारा (ढ़) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (ण) जोड़ी जायेगी।

''(ण) 'विधिक संघ' से अभिप्रेत है अधिवक्ता/विधिज्ञ संघ संबंधन नियमावली, 1985 के नियम 1 (क) एवं 2 (ख) के अधीन संबद्ध किसी न्यायालय न्यायधिकरण या प्राधिकरणों इत्यादि में कृत्यकारी और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा गठित बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद् से निबंधित किसी नाम से जाना जाने वाले अधिवक्ताओं के संघ।''

3. **बिहार अधिनियम 16, 1983 की धारा-5 में संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (5) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा(6) जोड़ी जाएगी:-

''(6) न्यासी समिति के कर्मियों की सेवा शर्त्ते अधिनियम की धारा-27 के अधीन बनाई गई नियमावली से शासित होंगी।''

4. **बिहार अधिनियम, 16, 1983 की धारा-16 में संशोधन।**- उक्त अधिनियम की धारा-16 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेगे:-

(क) उपधारा- (3) में शब्द ''दो सौ रूपये'' शब्द ''पाँच सौ रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित कियें जाएगें।

(ख) उपधारा-(5) में शब्द ''पचास रूपये'' शब्द ''दो सौ रूपये'' और शब्द ''एक सौ रूपये'' शब्द ''पाँच सौ रूपये'' द्वारा क्रमश: प्रतिस्थापित किये जाएगें।

(ग) धारा 16 की उपधारा-(12) के बाद निम्नलिखित नई उपधाराएँ (13) और (14) जोड़ी जाएगी:-

''(13) कोई अधिवक्ता, जो आवेदन की तिथि को 50 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुका हो, निधि के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकेगा।

(14) कोई भी सदस्य, निधि की विद्यमान सदस्यता का अपना पचास वर्ष पूरा कर लेने के बाद भी अपने प्रैक्टिस की तिथि तक उपधारा (5) में विहित वार्षिक अंशदान अथवा न्यासी समिति द्वारा नियत की गई एकमुश्त राशि के भुगतान पर निधि का सदस्य होना जारी रख सकेगा और अधिनियम एवं उसके अधीन बनाई गई नियमवाली के अधीन विहित और न्यासी समिति द्वारा सम्यक्रूप से निर्णीत वर्त्तमान दर, से न्यासी समिति से सभी लाभ प्राप्त करने हेतु, समान रूप से हकदार होगा।''

5. **बिहार अधिनियम 16, 1983 में नई धारा 17क का जोड़ा जाना।**- उक्त अधिनियम की धारा-17 के बाद निम्नलिखित नई धारा 17 क जोड़ी जायेगी।-

''17 क-न्यासी समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन।- (1) कोई भी निधि का व्यथित अधिवक्ता अपनी सदस्यता अथवा किसी दावा के भुगतान से संबंधित, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन, निधि की न्यासी समिति के आदेश के विरूद्ध, न्यासी समिति के समक्ष, उस आदेश की प्राप्ति या जानकारी की तिथि से 30 दिनों के भीतर, पुनर्विलोकन आवेदन दायर कर सकेगा;

परंतु न्यासी समिति, युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से, पुनर्विलोकन आवेदन दायर करने में विलम्ब को माफ कर सकेगी।

(2) पुनर्विलोकन आवेदन संक्षिप्त एवं निम्नलिखित के साथ संलग्न होगा:-

(क) पुनर्विलोकन किया जानेवाला आदेश; एवं

(ख) पाँच सौ रूपये की फीस, जो वापस नहीं की जाएगी।

(3) ऐसे पुनर्विलोकन आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यासी समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।''

**6. बिहार अधिनियम, 16, 1983 की धारा-22 में संशोधन।**- धारा-22 की उपधारा (1) में शब्द ''पाँच रूपये'' शब्द ''पन्द्रह रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

**वित्तीय संलेख**

बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1983 में इस संशोधन द्वारा अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प का मूल्य पॉच रूपये से बढ़कर पन्द्रह रूपये हो जायेगा जिससे अधिवक्ता कल्याण निधि में तिगुनी राशि की वृद्धि होगी और इसके द्वारा बिहार राज्य के अधिवक्ताओं का कल्याण हो सकेगा। इस संशोधन पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

**(नरेन्द्र नारायण यादव)**
भार साधक सदस्य।

**उद्देश्य एवं हेतु**

राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बिहार एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमिटी की स्थापना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1983 में की गयी थी जो राज्य के अधिवक्ता को मुख्यत: चिकित्सा, मृत्यु एवं ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ट्रस्टी कमिटी की आय का एकमात्र स्त्रोत अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प है। चूँकि बिहार में अधिवक्ता कल्याण स्टाम्प का मूल्य अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है जिसमें वृद्धि करना अति आवश्यक एवं समीचीन भी है। इसलिए अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधन करना अपेक्षित है। एतदर्थ बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 में संशोधन हेतु इस विधेयक में कतिपय प्रावधान किए गए है जिनको अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

**(नरेन्द्र नारायण यादव)**
भार-साधक सदस्य

---

पटना,
दिनांक 21.04.2015

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 533-571+10-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**